।। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : गोपाल लाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 29/2021

GCMS NO 2021/48

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. तुलछाराम पुत्र श्री मोडाराम जाति जाट निवसी खीवसर तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलसूण्ड।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व मुकदमा संख्या 13/2018 सरकार बनाम तुलछाराम धारा 91 एलआर एक्ट तहसीलदार फलसूण्ड के निर्णय दिनांक 22.02.2019 से क्षुब्ध होकर।

उपस्थित :

1. श्री अब्दुल रहमान मेहर अपीलांट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 02–08–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का राजमथाई ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि अप्रार्थी ने ग्राम राजमथाई के खसरा नं. 681 मै.मु. आगौर भूमि मे से 5 बीधा भूमि पर नाजायज रूप से बाजरी की फसल बोई है तथा गत वर्ष भी अतिक्रमण किया था। अप्रार्थी के विरूद्व आर आल आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये, साथ ही आदतन अतिचारी मानते हुए दो माह की सिविल जेल की सजा से दण्डित करने के आदेश दिए गए। अतिक्रमी पर भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.40 का 50गुणा रूपये 20 जुर्माना आरोपित करने का निर्णय किया गया। इससे क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की गई। अपीलांट ने अपील में सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में अपीलांट ने कथन किया है कि उसने राजकीय भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर किसी प्रकार अतिक्रमण नही करने का वचन दिया है। हल्का पटवारी की मौके रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा प्रकरण संख्या 13/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2019 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार)
अतिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर